मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1996 (फाल्गुन 28, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री चरणदास महन्त, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का लेखा वर्ष 1994-95 की सम्परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री देवचरण सिंह मधुकर, सदस्य, बिलासपुर जिले की कनोई पेपर मिल के प्रदूषित पानी से बीमारियां फैलने की ओर राज्यमंत्री पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री केसरी चौधरी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के अनेक जिलों में ओला वृष्टि से फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के -

(क) जिला चिकित्सालय का उन्नयन किये जाने ; तथा
(ख) ग्राम जाम एवं निलजी के उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने;

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम -

(क) असनेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;
(ख) देवरीकलां में हाईस्कूल खोले जाने ;
(ग) असवार में नायब तहसीलदार का कार्यालय स्थापित किये जाने ;
(घ) लहार में बस स्टेंड पर पुलिस चौकी स्थापित किये जाने ; तथा
(ङ.) असवार में विद्युत मण्डल का कार्यालय स्थापित किये जाने ;

(3) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम चन्दपुर से गढ़ी तक गिट्टीकृत सड़क बनाये जाने ; तथा
(ख) ग्राम कोटरा कला तक बस चलाये जाने ;

(4) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम लोधा को सड़क से जोड़े जाने ;

(5) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) बौलहा जलाशय नहर की मरम्मत कराये जाने ;
(ख) ग्राम आवावर तथा बड़ागांव में बालक-बालिका आश्रम खोले जाने ; तथा
(ग) ग्राम बरगवां, गुड़ा, जमुनिया आदि का विद्युतीकरण कराये जाने ;

(6) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के कोलार डेम विश्राम गृह से कोलार डेम तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने ;

(7) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बटेरा से श्यामपुर तक सड़क बनाये जाने ;

(8) श्री रंजीत सिंह गुणवान, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम खामखेड़ा में प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ; एवं

(9) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम कदवासा से डाबड़ाकला तक सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय	5. वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों पर मतदान	(क्रमशः)
2 घन्टे	(1) मांग संख्या 15	डेयरी विकास
	मांग संख्या 27	स्कूल शिक्षा
2 घन्टे	(2) मांग संख्या 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
	मांग संख्या 30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या 63	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	मांग संख्या 80	त्रिस्तरीय पंचायती ~~[illegible]~~ राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या 82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या 84	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
2 घन्टे	(3) मांग संख्या 31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या 33	आदिम जाति कल्याण
	मांग संख्या 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
	मांग संख्या 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
	मांग संख्या 75	आदिवासी कल्याण के लिये विशेष संग्रह

भोपाल :
दिनांक : 17 मार्च, 1996

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा